[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :.................... 2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में व्यावसायिक परामर्शदाता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली व्यावसायिक परामर्शदाता, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे **जो** इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक परामर्शदाता	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल केडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या या (ii) जिन्होंने मूल केडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स** में स्तर -6 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच सेवा की हो; या (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री| किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुनर्वास मनोविज्ञान या व्यावसायिक परामर्श या व्यावसायिक मार्गदर्शन या व्यावसायिक पुनर्वास में परास्नातक डिप्लोमा तथा व्यावसायिक परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा दिवयांग व्यक्तियों के प्लेसमेंट में दो वर्ष का अनुभव| नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि, 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी ।

	नोट 2 : प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 2: टिप्पण - प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहॉं एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानका साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉं सह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थपित ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता|	लागू नहीं होता|

एफ सं. ए 12018/1/2011- स्था.III

ए. के. सिंह , अवर सचिव